9-8-19 तहसीलदार किशनगढ़ बास की ओर से पेश किया दर्ज रजिस्टर हो गिरदावर [illegible] जवाब पेश किया वास्ते सुनवाई दिनांक 23-8-19 को पेश हो।

26-8-19 अवकाश होने से आज पेश हुई वास्ते गौर दि० 6-9-19 को पेश हो।

6-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. ~~साहब~~ अन्य मिटिंग
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 13-9-19
को पेश हो।

रीडर

13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर है
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 27-9-19
को पेश हो।

रीडर

27-9-19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल रिकार्ड हो।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा. पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
56	26-8-19	27-9-19

उनवान

1- सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) किशनगढ़-बास जिला अलवर :- प्रार्थी

बनाम

1- कालू, कल्लू, अमरूदीन, इदरीस पुत्रान मंगल मेव निवासी रावका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अप्रार्थीगण

प्रा. पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- तहसीलदार किशनगढ़-बास द्वारा प्रा. पत्र पेश किया गया कि पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रावका के मिलानक्षेत्रफल मिसल हकीयत सं. 2029 व जमाबन्दी सं. 2071-74 में खाता सं. 33 में 310/402 दर्ज है। नक्शा लट्ठा मौमीयाशीट में 210/402 दर्ज है सभी की एकरूपता के लिए ख. नं. 210/402 जमाबन्दी चालू व नक्शा चालू में एकरूपता लाने के लिये दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रा. पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश कर स्वीकार किया कि ख. नं. 310/402 के बजाय 210/402 दर्ज किये जाने में हम सहमत है दुरूस्ती की जावे।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा का अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित एवं कानून सगंत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :-

तहसीलदार किशनगढ़-बास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रावका की जमाबन्दी हाल में ख. नं. 310/402 के बजाय 210/402 दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढ़-बास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner